

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर


क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/सिरोही/एस-661/2019/

दिनांक

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक 60 दिनांक 10.02.2016 एवं 443 दिनांक 18.11.2016 के द्वारा निम्न का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तिया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गई तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै मेट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	सरपोटा संजय कुमार	सिरोही	10.07.1985	12.02.2016	11.02.2018	12.02.2018
2	सुनील कुमार	सिरोही	02.05.1986	11.02.2016	10.02.2018	11.02.2018
3	विनोद कुमार डिण्डोर	सिरोही	02.05.1986	11.02.2016	10.02.2018	11.02.2018
4	विजय कुमार मीणा	सिरोही	01.01.1989	17.11.2016	16.11.2018	17.11.2018



(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक 29/03/19

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/सिरोही/एस-661/2019/378

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है--

- 1 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को भेजकर लेख है कि प्रताप कुमार मईडा द्वारा परिवीक्षाकाल में 14 दिवस का अवैतनिक अवकाश लिया गया है जिसे स्वीकृत कराने हेतु प्रस्ताव अविलम्ब भिजवावे तथा प्रदीप कुमार ईन्दा के क्रम में आप द्वारा कार्मिक की कार्यग्रहण तिथि 18.11.2016 एवं प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि 17.11.2018 के स्थान पर 17.11.2019 अंकित की है के विरोधाभास के संबंध में स्थिति स्पष्ट करे।
- 3 संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही।
- 4 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 5 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 6 आदेश पत्रावली।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर